RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-04
Issue-12
December -2019

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com[Peer Reviewed Journal]

सामाजिक न्याय सिद्धान्त : विभिन्न दृष्टिकोण

जितेन्द्र कुमार वर्मा

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

ARTICLE DETAILS

Article History
Published Online: 16 Dec 2019

Keywords
सामाजिक न्याय, आवश्यकता, अधिकार, डेजर्ट।

***Corresponding Author**
Email: jeetendra0709@gmail.com

ABSTRACT

सामाजिक न्याय एक आधुनिक विचार है जिसे अठारहवीं सदी के ज्ञानोदय और अमेरिकी व फ्रांसीसी क्रांतियों ने प्रकाशित किया है। यह विचार राजनीतिक विवादों से घिरा हुआ है। परिणामस्वरूप इसे कुछ अच्छा तो कुछ बुरा मानते हैं। सामाजिक न्याय की अधिकांश चर्चा में अन्याय के निवारण को केन्द्र में रखा जाता है। लेकिन यह विचार इससे अधिक की मांग करता है जिसमें न्यायी समाज पर ध्यान दिया जाता है। इसमें आधरभूत प्रश्न मानव प्रकृति और सामाजिक सम्बन्ध है यह संसाधन, शक्ति, स्टेटस अधिकार व अवसर के वितरण से जुड़ा हुआ है जिसमें वितरण के निर्णय किस प्रकार होंगे, यह पक्ष भी शामिल है। अतः सामाजिक न्याय की परिभाषा विशेष संदर्भ की मांग करती है। डेविड मिलर ने इससे सम्बन्धित तीन सिद्धान्त बताये हैं – आवश्यकता, अधिकार व डेजर्ट के अनुसार। आवश्यकता आधारित सिद्धान्त मानवीय जीवन की बुनियादी आवश्यकता पर ध्यान देता है। अधिकार आधारित सिद्धान्त परिणामों पर ध्यान नहीं देकर प्रक्रिया को महत्वपूर्ण मानते हैं। डेजर्ट आधारित सिद्धान्त के रूढ़िवादी विचारक समर्थक हैं जो प्राकृतिक न्याय को मानते हैं।

सामाजिक न्याय

समाजिक न्याय शब्द राजनीतिक विवाद से घिरा हुआ है। जैसे समता वादी विचारक इसे समानता से अधिक कुछ नहीं मानते। इसका परिणाम यह हुआ है कि राजजीतिक अधिकारों के समर्थक इस शब्द के प्रयोग से घबरा जाते हैं, वे इसका प्रयोग नकारात्मक अर्थ में करते हैं। हेयक ने सामाजिक न्याय को 'भ्रामक शब्द' कहा है। इस मत के अनुसार सामाजिक न्याय के नाम पर राज्य नियंत्रण और हस्तक्षेप का विकास होता है। दूसरी ओर सामाजिक लोकतंत्रवादी और आधुनिक उदारवादी इसका समर्थन करते हैं। इनका मत है कि सामाजिक न्याय नैतिक सिद्धान्तों पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की पुनर्संरचना है जिससे सामाजिक अन्याय का निराकरण हो सके।

सामाजिक न्याय की एक विशेष संकल्पना न्याय के प्राचीन विचार का विरोध करती है। इस विचार का उन्नीसवीं सदी में उदय हुआ था। यह सामाजिक इस अर्थ में है कि यह कानूनी दण्ड व सजा की बात नहीं करता है। यह सामाजिक कुशलक्षेम (Social well being) पर ध्यान देता है। सामाजिक न्याय समाज में लाभों का नैतिक रूप से उचित वितरण करता है। जिसमें मजदूरी, लाभ, निवास, चिकित्सीय सुविधा, कल्याण लाभ शामिल है। इस प्रकार सामाजिक न्याय 'किसको क्या मिलेगा' विचार पर आधारित है। जैसे समाज में आय अंतर अधिक हो तो अन्याय मानकर निंदा की जायेगी। कुछ विचारक सामाजिक न्याय की धारणा का भूल बताते हैं। ये तर्क देते हैं कि भौतिक लाभों के वितरण का न्याय जैसे नैतिक सिद्धांत से कोई सम्बन्ध नहीं है। इनका आधार आर्थिक पात्रता–दक्षता और सम्वृद्धि है। हेयक के अनुसार न्याय का सम्बन्ध व्यक्ति विशेष से है, इसका वृहद् सामाजिक सिद्धांत अर्थहीन है। राजनीति विचारकों का सम्बन्ध वस्तुओं के न्यायपूर्ण वितरण से है। क्या न्याय के समान सामाजिक न्याय इसका अनिवार्य भाग है। डेविड मिलर ने सामाजिक न्याय (1976) पुस्तक में इसे अनिवार्य मानना है। उन्होंने न्याय के विरोधभाषी सिद्धांत बताये हैं – ये है प्रत्येक की आवश्यकता अनुसार, प्रत्येक को अधिकारों के अनुसार, प्रत्येक को डेजर्ट के अनुसार।

आवश्यकता के अनुसार

भौतिक लाभों का वितरण आवश्यकता के अनुसार विचार का प्रतिपादन समाजवादी विचारकों ने किया है। इसे न्याय का समाजवादी सिद्धान्त के नाम से भी जाना जाता है। इसकी प्रसिद्ध व्याख्या कार्ल मार्क्स के ग्रंथ 'क्रिटीक ऑफ द गोथा प्रोग्राम 1875' में मिलती है। जिसमें मार्क्स ने साम्यवादी समाज में 'प्रत्येक को योग्यतानुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता अनुसार' मिलेगा का उल्लेख किया है। यदि न्याय के समाजवादी सिद्धान्त को आवश्यकता संतुष्टि के सामान्य सिद्धान्त से सम्बन्धित कर दिया जाये तो यह त्रुटि होगी। मार्क्स ने वितरणात्मक सिद्धान्त में साम्यवाद और संक्रमणकालीन समाजवादी समाज में अंतर किया है। साथ ही कहा है कि पूंजीवादी प्रक्रिया अचानक ही खत्म नहीं होगी, ये संक्रमणकालीन समाजवादी समाज में बनी रहेगी। समाजवाद में श्रमिक को उसके योगदान के अनुसार मिलेगा, यह व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक क्षमता पर निर्भर करेगा। अतः मार्क्स

RRIJM 2015, All Rights Reserved

के मतानुसार न्याय साम्यवादी सिद्धान्त में होगा। यह भविष्य में उपयुक्त होगा जब भौतिक प्रचुरता होगी। उस समय सम्पत्ति का वितरण अप्रासंगिक है।

वरीयता और चाहत के आधार पर आवश्यकता अलग–अलग होती है। एक आश्यकता जरूरी है, यह संतुष्टि मांगती है, यह साधारणतः तुच्छ इच्छा नहीं है इस तर्क के आधार पर आवश्यकता मानव के लिए बुनियादी होती है, इनकी संतुष्टि मानव जीवन का आधार है। यद्यपि चाहत व्यक्ति के व्यक्तिगत निर्णय पर निर्भर करती है, जो समाजिक और सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित होती है। मानवीय आवश्यकताएं वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक होती है जो सभी व्यक्ति से सम्बन्धित है चाहे वे किसी भी लिंग, राष्ट्र, धर्म और सामाजिक पृष्ठभूमि के हो। सामाजिक न्याय के आवश्यकता आधारित सिद्धान्त का मुख्य आकर्षण यह है कि यह मानवीय जीवन की बुनियादी आवश्यकता पर ध्यान देता है। इसकी नैतिक मान्यता है कि इन मानवीय दशाओं के बिना मानव का अस्तित्व नहीं है। इनकी आवश्यकता आधारभूत धारणा पर आधारित है। जैसे मानव अधिकारों की धारणा आधारभूत है। कुछ आवश्यकताओं की मनोविश्लेषक अब्राहम मस्लो ने पहचान की है। इन्होंने 'आवश्यकताओं का श्रेणीक्रम' प्रतिपादित किया है। इन आधारभूत आवश्यकताओं में शामिल है – भूख और निद्रा, इसके बाद सुरक्षा, प्यार, आत्म बल और आत्म निर्भर। 'ए थियोरी ऑफ ह्यूमन नीड' (1991) ग्रंथ में लेन डॉयल और इयन गोज ने शारीरिक स्वास्थ्य और स्वायत्तता को वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक आवश्यकता माना है। ये सामाजिक जीवन में भागीदारी के लिए आवश्यक पूर्व शर्त है। सामाजिक न्याय का कोई भी आवश्यकता आधारित सिद्धान्त समतावादी निहितार्थ से सम्बन्धित है। यदि आवश्यकता विश्व स्तर पर समान है, तो प्रत्येक व्यक्ति की बुनियादी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए भौतिक संसाधनों का वितरण करना होगा। इसका अर्थ है व्यक्ति को भोजन, पानी, आवास, पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल और व्यक्तिगत सुरक्षा आवश्यकता में शामिल है। अतः संसाधनों की उपस्थिति के बाद लोगों का भूखा, बेसहारा, कमजोर व भय के वातावरण में रहना अनैतिक होगा। आवश्यकता आधारित मापदण्ड पश्चिमी देशों पर नैतिक दायित्व आरोपित करता है कि विश्वस्तर पर सम्पत्ति के पुनर्वितरण की बात करता है। इसी प्रकार से समान बीमार की असमान स्वास्थ्य देखभाल अन्याय है। इसलिये आवश्यकता के अनुसार वितरण लोककल्याणकारी सेवाओं का मुक्त वितरण का सार्वजनिक प्रावधान करता है न कि निजी सेवाओं की।

इसका अर्थ यह नहीं है कि आवश्यकता आधारित सिद्धान्त प्रत्येक स्थिति में समान वितरण की बात करता है। कुछ परिस्थितियों में आवश्यकताएं असमान होती है। जैसे – बीमार व्यक्ति को अधिक स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता है। इसलिए बीमार व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति की अपेक्षा ज्यादा अनुपात में संसाधनों का वितरण होगा।

मानवीय आवश्यकता के अनुसार वितरण की बड़ी आलोचना यह है कि आवश्यकता को परिभाषित करना कठिन है। रूढ़िवादी और कुछ उदारवादी विचारक आवश्यकता की इस आधार पर आलोचना करते हैं कि यह अमूर्त और पराभौतिक है। व्यक्तियों का यथार्थ व्यवहार इच्छाओं से अलग होता है। इनका तर्क है कि बाजार व्यवहार के माध्यम से व्यक्ति की स्थायी प्राथमिकता के आधार पर संसाधनों का वितरण होना चाहिये। इसके अतिरिक्त व्यक्ति की आवश्यकताएं ऐतिहासिक, सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भ में उदय होती है। यदि यह सही है तो सार्वभौमिक मानव अधिकारों के समान, सार्वभौमिक मानवीय आवश्यकता की धारणा मिथ्या है। विश्व के अलग–अलग भागों में लोग भिन्न–भिन्न सामाजिक दशाओं में पैदा होते हैं, उनकी आवश्यकता भी अलग–अलग होती है। इस प्रकार यह विचार कुछ नैतिक धारणा पर आधारित है जिसमें व्यक्ति की आवश्यकता को अन्य की तुलना में संसाधनों के वितरण में प्राथमिकता दी जाती है। इसमें यह धारणा है कि एक मानव का अन्य मानव के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व है, यह विचार समान मानवता के विचार से जुड़ा है। ऐसा ही समाजवाद और विश्व के अनेक धर्म मानते हैं, जबकि रूढ़िवादी और शास्त्रीय उदारवादी व्यक्ति को आत्मकेन्द्रित मानते हैं।

यद्यपि आधुनिक समतावादी सिद्धान्तों में समानता और आवश्यकता के विचार पर अनेक तर्क दिये जाते हैं। इसकी सबसे प्रभावशाली व्याख्या जॉन रॉल्स ने 'ए थियोरी ऑफ जस्टिस' में की है। इसमें सामाजिक न्याय के आधुनिक उदारवादी और सामाजिक लोकतांत्रिक सिद्धान्त को आकार प्रदान किया है। जॉन रॉल्स ने प्राथमिक वस्तुओं का विचार दिया है। ये मानवीय साहसों के सार्वभौमिक साधन के समान है। यहां सामाजिक न्याय के प्रश्न पर ध्यान केन्द्रित किया गया है कि प्राथमिक वस्तुओं या आवश्यकता संसाधनों का वितरण कैसे किया जाये। रॉल्स ने इसके लिए 'न्याय उचितता के रूप में' सिद्धान्त प्रतिपादित किया हो, इस पर आधारित दो मूल नियम को बनाये रखा है :–

1. प्रत्येक व्यक्ति को समान स्वतंत्रता का अधिकार है जो दूसरों की स्वतंत्रता के समान है।
2. सामाजिक और आर्थिक असमानता इस प्रकार से व्यवस्थित की जाएगी।
   (अ) सबसे कम लाभान्वित को सबसे अधिक लाभ हो।
   (ब) अवसर की उचित समानता के साथ सभी के लिए पद खुले हो।

पहला मूल नियम परम्परागत उदारवाद की औपचारिक समानता को प्रदर्शित करता है। दूसरा मूल नियम

विभेद सिद्धान्त कहलाता है – यह सामाजिक समानता का महत्व बताता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि यह सामाजिक समानता को न्यायोचित मानता है। रॉल्स असमानता के महत्व को पहचानता है, उसकी समानता के पक्ष में यह धारणा है कि असमानता तब न्यायोचित है जब यह सबसे कम लाभान्वित के हित/लाभ के लिए हो।

रॉल्स का समतावाद एक प्रकार के सामाजिक समझौते सिद्धान्त पर आधारित है न कि वस्तुनिष्ठ मानवीय आवश्यकता पर। उसने एक ऐसी काल्पनिक स्थिति की कल्पना की है, जिसमें व्यक्ति ज्ञान से अलग है, उसे अपनी योग्यता के बारे में जानकारी नहीं है। यह समतावादी समाज का विकल्प प्रदान करती है। इसमें सभी व्यक्ति समान है उन्हें नहीं पता कि भविष्य में कौनसी चीज महत्वपूर्ण है। इस स्थिति में कोई भी दूसरे का उपयोग नहीं कर सकता है। अतः यह स्थिति समझौते करने के लिए उचित है। इस स्थिति में रॉल्स ने मानव प्रकृति की परम्परागत उदारवादी धारणा को स्वीकार किया है जिसमें व्यक्ति विवेकशील और स्वहित केन्द्रित है।

अधिकारों के अनुसार –

बीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में समतावाद, कल्याणवाद, राज्य हस्तक्षेप के विरूद्ध अधिकार पंथ का उदय हुआ। इन नवीन अधिकार सिद्धान्तों में रॉबर्ट नॉजिक के ग्रंथ अनार्की, स्टेट एण्ड यूटोपिया में प्रतिपादित सिद्धान्त भी शामिल है। इसमें उन्होंने समानता के पक्ष में आवश्यकता आधारित सिद्धान्त को अस्वीकार कर दिया। नॉजिक ने अधिकारों पर आधारित न्याय सिद्धान्त का समर्थन किया है। इसमें व्यक्ति मूल वितरण का आधार है। यह सामाजिक न्याय के उदारवादी सिद्धान्त से सम्बन्धित है। जो जॉन लॉक और डेविड ह्यूम के विचारों में पाया जाता है। जिस प्रकार न्याय के समाजवादी सिद्धान्त का आधार 'आवश्यकता' है वैसे ही न्याय के उदारवादी सिद्धान्त का आधार 'अधिकार' है।

अधिकार सम्बन्धी सिद्धान्त परिणामों पर ध्यान नहीं देते हैं। ये सिद्धान्त प्रक्रियात्मक न्याय पर आधारित है। आवश्यकता आधारित सिद्धान्त तात्विक न्याय पर आधारित है जो परिणामवादी है। अधिकार सिद्धान्त गैर समतावादी है। ये समानता और असमानता की बात नहीं करते। इनका मानना है कि असमानता न्यायोचित है जब योग्यता आधारित वितरण हो। यह जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धान्त का विरोधाभासी है जिसमें न्याय सिद्धान्त प्रक्रियात्मक रूप से समतावादी परिणाम प्रतिपादित करता है।

सबसे प्रभावशाली अधिकार का न्याय सिद्धान्त रॉबर्ट नॉजिक है। उसने न्याय के ऐतिहासिक सिद्धान्त और end state सिद्धान्त में अंतर किया है। ऐतिहासिक सिद्धान्त में भूतकाल की स्थिति या ऐतिहासिक कार्य विभेद अधिकार सृजित करते हैं। उसके मतानुसार परिणामवादी सिद्धान्त पुरस्कारों (reward) का वितरण करने में अप्रासांगिक है। जैसे–सामाजिक समानता और मानवीय क्षमता। यदि सम्पत्ति का विशेष वितरण न्यायपूर्ण हो तो उसे हम जान सकें। उसने तीन न्याय रक्षित नियमों का सुझाव दिया है।

1. सम्पत्ति न्यायपूर्ण है यदि वह चोरी की नहीं है और उसके अर्जन में अधिकारों का उल्लंघन नहीं हुआ है।
2. एक उत्तरदायी व्यक्ति से अन्य व्यक्ति को सम्पत्ति हस्तान्तरण न्यायपूर्ण है।
3. यदि सम्पत्ति का अधिग्रहण और हस्तान्तरण अन्यायपूर्ण है तो अन्याय है।

इन नियमों का प्रयोग पुरस्कार और सम्पत्ति के वितरण की सकल असमानता की न्यायपूर्ण स्पष्ट करने में किया जा सकता है। वह समानता या सामाजिक न्याय के नाम पर सम्पत्ति के पुनर्वितरण के नैतिक आधार के विचार को अस्वीकार करता है। वह इच्छा स्वतंत्र्यवादी विचारकों के समान सामाजिक न्याय शब्द पर गहरा संशय करता है। यदि समाज में अमीर से गरीब के बीच सम्पत्ति का हस्तान्तरण है तो यह निजी दान है। यह व्यक्ति का नैतिक दायित्व नहीं, निजी चयन है। दूसरी ओर नॉजिक तीसरे नियम को 'परिशोधन नियम' कहता है। यह समतावादी धारणा पर आधारित है। विशेषतः यदि सम्पत्ति की उत्पत्ति धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से हुयी है।

अधिकार आधारित सिद्धान्तों की इस आधार पर आलोचना की जाती है ये परिणामों पर ध्यान नहीं देते। व्यवहार में इसका अर्थ यह होगा कि ये अमानवीय दशाओं में पीड़ित को भी न्यायपूर्ण ठहरा देंगे, यदि न्यायपूर्ण तरीके से हस्तान्तरित सम्पत्ति का वितरण है जिसमें वैभवशाली लोग रहते हैं, उसमें भूखे पीड़ित लोग हैं वह समाज भी न्यायपूर्ण माना जायेगा। किसी भी न्याय के ऐतिहासिक सिद्धान्त के समान नॉजिक को यह बताना होगा कि उसने अधिकारों को प्राथमिकता कैसे दी है। सी.बी. मक्फर्सन ने इसकी 'स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद' के आधार पर आलोचना की है। साथ ही यह समाज के योगदान को नकारता है। जबकि समाज का भी व्यक्ति के योग्यता में योगदान होता है। नॉजिक व्यक्ति के स्वहित की धारणा को अहम केन्द्रित धारणा में बदल देता है जबकि व्यक्ति में परोपकार व सहयोग भी जाता है।

डेजर्ट्स के अनुसार (deserts)

सामाजिक न्याय के दो परम्पराओं की सामान्य पहचान यह है कि एक आवश्यकता आधारित है, यह समानता का पक्षधर है। दूसरा मेरिट पर आधारित है जो समानता के प्रति असहिष्णु है। लेकिन मेरिट आधारित सिद्धान्त समान नहीं है।

RRIJM 2015, All Rights Reserved

डेजर्ट्स सिद्धान्त के रूढ़िवादी विचारक समर्थक हैं, ये प्राकृतिक न्याय को स्वीकार करते हैं।

एक डेजर्ट पुरस्कार या दण्ड जैसा है। इससे व्यक्ति को देय/योग्य (काबिल) है प्रदर्शित होता है। वृहद् अर्थ में यह मानता है कि सभी न्याय के सिद्धान्त डेजर्ट पर आधारित है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को क्या देय है, की व्याख्या की जाती है। यह सिद्धान्त मानता है कि भूखा व्यक्ति भोजन के काबिल है, जैसे श्रमिक मजदूरी के काबिल है। अतः सभी सिद्धान्त डिजर्ट आधरित है। इनके मतानुसार व्यक्ति के साथ उसकी आन्तरिक क्षमता के आधार पर व्यवहार करना चाहिए। जैसे परिशोध प्रकार के दण्ड सिद्धान्त में, गलत कार्य करने वाले को दण्ड के काबिल साधारणतः इसलिए नहीं माना जाता कि उसने गलत कार्य किया है अपितु उसमें बुराई गुण होने के कारण दण्ड के काबिल है। रूढ़िवादी इस सिद्धान्त से इसलिए आकर्षित होते हैं कि क्योंकि यह वस्तुओं की प्राकृतिक व्यवस्था पर आधारित है, न कि सामाजिक–राजनीतिक विचारकों के सपनों पर। ये स्वीकार करते हैं कि इस न्याय सिद्धान्त की जड़ें प्रकृति में है। रूढ़िवादी प्राकृतिक न्याय की संकल्पना के आधार पर मुक्त बाजार वादी पूंजीवाद को समर्थन करते हैं। प्राकृतिक न्याय की उदारवादी परम्परा में जॉन लॉक और रॉबर्ट नॉजिक शामिल हैं। ये सम्पत्ति के अधिकार पर आधारित धन के वितरण व अर्थव्यवस्था को न्यायोचित मानते हैं। इनका विरोधाभासी विचार रूढ़िवाद एडमंड वर्क के विचारों पर आधारित है। ये बाजार व्यवस्था को प्रकृति के कानूनों के अधीन मानते हैं। यद्यपि बर्क शास्त्रीय अर्थशास्त्री एडम स्मिथ के विचारों को स्वीकार करता है जिसके अनुसार बाजार व्यवस्था में हस्तक्षेप से अकुशलता बढ़ती है। प्रचलित सम्पत्ति के वितरण में असमानता प्राकृतिक कानूनों के समान है, बर्क इसे भी न्यायपूर्ण मानता है। ब्रिटीश सामाजिक दर्शनशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर ने वितरणात्मक न्याय का सिद्धान्त विकसित किया है। यह भी प्राकृतिक कारकों पर निर्भर है। स्पेंसर के विचार चार्ल्स डार्विन के प्राकृतिक विज्ञान पर आधारित है। इस मतानुसार व्यक्ति में जानवरों के समान जीव विज्ञान के अनुरूप क्षमता व आचरण पाया जाता है, इनसे व्यक्ति का जीवन निर्धारित होता है। 'द प्रिंसिपल ऑफ इथिक्स' में कहा है कि व्यक्ति का लाभ उसकी क्षमता व आचरण के अनुसार मिलते हैं। यह विचार चार्ल्स डार्विन के इस विचार पर आधारित है कि योग्यतम ही बचा रहता है।

इस न्याय सिद्धान्त की आलोचना यह है कि यह पीड़ित व्यक्ति को भाग्य के सहारे छोड़ देता है। जबकि नवीन वैज्ञानिक खोजों ने मानवीय जीवन को बेहतर बनाने का काम किया है। अतः मानवीय हस्तक्षेप से न्याय को बढ़ाया जा सकता है। प्राकृतिक स्थिति को अपरिवर्तनीय मानकर न्यायपूर्ण स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इन स्थितियों में मानव सुधार कर ज्यादा न्यायपूर्ण बना सकता है।

संदर्भ –

1. हेवुड, एंड्रयु (2004) पोलिटिकल थियरी : एन इंट्रोडक्शन, न्यूयार्क एन वाई : पांलग्रेव मैकमिलन।
2. बार्कर, जे. (1987) आर्ग्युइंग फोर इक्विलिटी, लंदन : वर्सी।
3. बैरी, एन. (1998) वेल्फेयर, मिल्टन किन्स : ऑपन यूनिवर्सिटी प्रेस।
4. बेडाव, एच.ए. (एडि.) (1971) जस्टिस एण्ड इक्विलिटी, इंग्लवुड लिफ्स एन.जे. : प्रेनटिस हॉल।
5. क्लेटॉन, एम. एण्ड विलियम्स ए. (एडि.) (2000), द आइडल ऑफ इक्विलिटी बेसिंग्स्टॉक : पालग्रेव मैकमिलन।
6. इसपिंग–एंडरसन, जी. (1996), वेल्फेयर स्टेट्स इन ट्रांजिशन : नेशनल अडेप्टेशन्स इन ग्लोबल इकोनोमिज, लंदन : सेज।
7. गुडिन, आर (1998), रिजनस फोर वेल्फेयर : द प्रेक्टिकल थियरी ऑफ वेल्फेयर स्टेट, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस।
8. जोर्डन, ए. (1996), ए थियरी ऑफ पॉवर्टी एण्ड सोशल अक्सक्लुजन, केम्ब्रिज : पोलिटी प्रेस।
9. मिलर, डी. (1976), सोशल जस्टिस, ऑक्सफोर्ड : ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
10. पेटिट, पी. (1980), जजिंग जस्टिस : एन इंट्रोडक्शन टू कंटेम्परी पोलिटिकल फिलोसफी, लंदन : रूटलेज एण्ड केगन पॉल।
11. रोजर, जे.जे. (2000), फ्रॉम वेल्फेयर स्टेट टू वेल्फेयर सोसाइटी, बसिंग्नस्टोक : पालग्रेव मैकमिलन।
12. नॉजिक, रॉबर्ट (1974), अनार्की स्टेट एण्ट भूटोपिया, ऑक्सफोर्ड : ब्लेकवेल।
13. रॉल्स, जॉन (1971), ए थियरी ऑफ जस्टिस, ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

RRIJM 2015, All Rights Reserved